(वाद संख्या–490/15)

17.10.2019

परिवादी, इन्द्र मोहन झा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक, प्लस टू उच्च विद्यालय, नेहरा, दरभंगा उपस्थित हैं।

प्रस्तुत परिवाद में परिवादी की ओर से बिहार सेवा संहिता के नियम 184 के आलोक में पूर्व घोषित अवकाश की अवधि में कार्य करने के आलोक में अर्जित 36 दिनों के अव्यवहृत अर्जित अवकाश के बदले नगद राशि के भुगतान हेतु दिया गया है जिसके संबंध में संयुक्त निदेशक (मा0शि0), बिहार, पटना द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–174, दिनांक 21.01.2011 द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में ग्रीष्मावकाश में कार्य सम्पन्न करने पर शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को बिहार सेवा संहिता के नियम 184 के आलोक में अर्जित अवकाश की सुविधा देय नहीं है। संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के उपरोक्त निर्देश को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत मामले को बंद किया जाता है।

परिवादी का कथन है कि सेवानिवृत्ति के उपरांत उसे सभी सेवांत लाभों का भुगतान हो चुका है एवं उन्हें नियमित रूप से पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति परिवादी को उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक